P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-II*October-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

स्थानीय शासन में महिला सहभागिता : म.प्र. का अध्ययन

नेहा निरंजन
वरिष्ठ प्राध्यापक,
राजनीति एवं लोक प्रशासन विभाग,
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,
सगर, मध्य प्रदेश

सारांश

पं. जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में, "You can tell the condition of nation by looking at the status of its women."

भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि शासन में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो किन्तु देश की लगभग आधी जनसंख्या जो महिलाएँ हैं, उनकी शासन में सहभागिता आज भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रश्न यह है कि क्या आज जब राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नारीवादी आन्दोलन अपने अनेक सोपानों में विकसित हो रहे हैं। उस दौर में इस आधी जनसंख्या की अनदेखी कर सतत् सामाजिक – आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। लोकतंत्र के सशक्तीकरण के लिए लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे 73वें संविधान संशोधन ने सफल बनाया है। इसे 73वें संविधान संशोधन से मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति और उनकी राजनीति में सहभागिता का अध्ययन करना ही इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य है।

मुख्य शब्द : स्थानीय स्वशासन, महिला सहभागिता, 73वां संविधान संशोधन 1993, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिन्दु कोड बिल, ''महिला सशक्तिकरण।

प्रस्तावना

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है कि शासन में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो, देश के सत्त सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक भी है किंतु विश्व की लगभग 50% जनसंख्या जो कि महिलाएँ है, की सहभागिता आज भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले कुछ दशकों से महिलाओं की स्थिति और उसकी सहभागिता पर गहन चिंतन और आंदोलन हो रहे हैं राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नारीवादी आंदोलन अपने अनेक सोपानों में विकसित हो रहा है जिससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय समाज में अपितु राष्ट्रीय समाज में भी महिलाओं की जागरूकता में वृद्धि हुई है लेकिन यह विकास हर एक स्तर पर समान नहीं है चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र महिलाओं की सहभागिता अभी भी निम्न है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 145 देशों की सूची में भारत 108 वे नंबर पर है यानि दुनिया में 107 देश ऐसे है जहाँ महिलाओं की स्थिति हमारे देश से बेहतर है। यद्यपि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में लंबे समय तक हमारी राष्ट्र, प्रमुख महिला रही है और वर्तमान केन्द्र सरकार में 6 मंत्री महिलाएँ है लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के संदर्भ में देश की छवि अच्छी नहीं दिखती। चिकित्सीय सुविधाओं में विकसित देशों की तुलना में भारत अब भी काफी पीछे है। आज भी सभी गर्भवती महिलाओं के लिए समय पर प्रशिक्षित डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते, भारत में प्रति एक लाख महिलाओं में से करीब 450 महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। यद्यपि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 67 फीसदी तक पहुँच चुकी है लेकिन उच्च शिक्षा के मामले में महिलाएँ अभी भी पीछे है जहाँ अमेरिका में उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत 100 है वही भारत में मात्र 24% महिलाएँ महिलाएँ उच्चशिक्षा में आ पाती है। रिसर्च के क्षेत्र में भी मात्र 14% महिलाएँ शामिल होती है जबकि भारत से ज्यादा रिसर्च में रूत्रिट पाकिस्तानी महिलाओं की है आय के क्षेत्र में भी पुरूषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। संपत्ति में अधिकार के मामले में भारत की छवि खराब है यहाँ बेटियों को संपत्ति में अधिकार का कानून बनने के बावजूद संपत्ति में अधिकारी नहीं दिया जाता। 71% महिलाओं के पास इंटरनेट सुविधा नहीं है। यू.के. और जर्मनी (क्रमशः 89%, 87%) की अपेक्षा भारत में इंटरनेट महिला यूजर्स मात्र 29% ही है।

कार्पोरेट जगत में महज 10.7% फर्म्स ही महिलाओं के स्वामित्व वाली है जबकि चीन (64%) इसमें कहीं आगे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अपितु देश के अंदर ही राज्य स्तर पर भी काफी अंतर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरूषों पर 943 महिलाओं का लिंगानुपात है इसमें पांडिचेरी (1037) और केरल (1084) राज्य ऐसे है जहाँ महिलाओं की संख्या पुरूषों से अधिक है वही हरियाणा में 1000 पुरूषों पर मात्र 834 महिलाएँ ही है। बिहार (61,80) और राजस्थान (66,11) राज्यों में महिला साक्षरता अब भी एक बड़ी चुनौती है। भारत में कुल मिलाकर 25.51 फीसदी महिलाएँ ही वर्क फोर्स का हिस्सा है जबकि पुरूषों में यह आँकड़ा 52.26% है। (2) ये सभी आंकड़े भारत में महिलाओं की स्थिति और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सहभागिता के स्तर को स्पष्ट करते है।

यद्यपि आज अनेक क्षेत्रों में महिलाएँ अपने कौशल का प्रदर्शन कर रही है लेकिन यह संख्या अपवाद स्वरूप ही है सत्त विकास के इस चरण में अभी भी आधी जनसंख्या को सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में बराबर नहीं माना जाता या तो उन्हें पुरूषों – भाई, पिता, पति के साथ जोड़ दिया जाता है या उन्हें द्वितीयक श्रेणी का मान लिया जाता है नीति निर्माण में उनके दृष्टिकोण को महत्ता नहीं दी जाती, महिलाओं के घरेलू कार्यों को एवं कृषि में उनके योगदान को उत्पादकता में शामिल ही नहीं किया जाता।

स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 14 में स्पष्ट किया गया है कि ''धर्म, जाति, वर्ग एवं लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।'' अर्थात् भारतीय संविधान स्त्री और पुरूषों को समानता का अधिकार देता है उन्हें जीवन जीने के और आगे बढ़ने के समान अवसर होंगे, महिला होने के कारण उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाएगा। इस संवैधानिक प्रावधान के बाबजूद धरातलीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया इसके अनेक कारण है–

1. पितृसत्तात्मक समाज
2. अशिक्षा
3. महिलाओं की दूसरों पर आर्थिक निर्भरता
4. दहेज प्रथा, बालविवाह एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाएँ

महिलाओं की सहभागिता एवं विकास के बिना संपूर्ण विकास संभव नहीं, इसीलिए महिलाओं के सामाजिक राजनीतिक विकास हेतु जून 1954 में National Federation of Indian women (NFIW) की स्थापना की गई। वर्ष 1955 में डॉ. भीमराव अम्बेडकर एवं पं. जवाहर लाल नेहरू के प्रयासों से **हिन्दु कोड बिल** पास किया गया एवं भारतीय संविधान में संशोधन कर महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए गए जिससे समाज में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हुई लेकिन इन सभी प्रयासों ने महिला सशक्तिकरण एवं उनकी राजनीतिक सहभागिता में वह भूमिका अदा नहीं की जो कि 73 वे संविधान संशोधन द्वारा की गई।

73 वाँ संविधान संशोधन एवं महिलाएँ

लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई पंचायत है और स्थानीय शासन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश के लिए कोई नई व्यवस्था नहीं है। भारत में इसकी परम्परा बहुत पहले से रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने देश स्वतंत्र होने से पहले ही पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से पिछड़े वर्गों के हाथों में सत्ता हस्तांरित करने की कल्पना की थी, स्वतंत्रता के बाद इसे लागू करने का फैसला भी लिया गया। प्रारंभ में यह व्यवस्था अपने कार्यों तथा उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही, सत्ता पिछड़े वर्गों की जगह गांव के उच्च एवं साधन सम्पन्न वर्गों के हाथो में चली गई। बाद में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके सही अर्थों में पिछड़े और दलित वर्गों को भागीदार बनाने, संशोधन पारित कर महिलाओं को पंचायतों तथा नगरीय निकायों में एक तिहाई स्थान आरक्षित करके आधारभूत स्तर पर राजनीतिक सत्ता के उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गयी।

वैश्वीकरण के इस युग में विकास के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएँ, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर रही है। शिक्षा जगत हो या समाज विकास, यांत्रिकी हो या अंतरिक्ष उड़ान, चिकित्सा हो या औद्योगिक जगत हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना लोहा मनवाया है लेकिन इन क्षेत्रों में भी महिलाओं को कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। कार्यक्षेत्र में महिलाओं को सामाजिक मान्यताओं को तोड़ने, काम के साथ–साथ परिवार की जिम्मेदारियों को भी संभालने, अपमान एवं यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं को भी झेलना पड़ा है। कुछ संख्या में महिलाओं की इस सफलता को देश के समुचित विकास के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसलिए जरूरत है उन्हें न केवल प्रतिनिधित्व देने की बल्कि सभी क्षेत्रों में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की और इसकी शुरूआत ऊपर के स्तर से नहीं बल्कि जमीनी स्तर से होना चाहिए।

यदि महिलाओं को सशक्त करना है उनकी आवाज को महत्व देना है तो इसकी शुरूआत निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होनी चाहिए अतः स्थानीय स्वशासन वह माध्यम है जहाँ से लोकतंत्र के सशक्तीकरण हेतु महिला सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए, इसके लिए भारतीय सरकार द्वारा 1992 में प्रस्तावित और 1993 में लागू 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन विधेयक मील का पत्थर सावित हुआ है।

73वें सांविधानिक संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

संविधान (73वें) संशोधन अधिनियम, 1992 में पंचायती राज सम्बन्धी संगठित विभिन्न समितियों और विभिन्न प्रस्तावों को समाविष्ट कर एक सशक्त आधार का निर्माण किया गया जिसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

1. प्रत्येक गाँव में एक ग्राम सभा होगी, ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत समस्त वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होंगे। यह सभा ग्राम स्तर पर शक्तियों का भोग करेगी और उन

कार्यों को सम्पन्न करेगी जो कि राज्य विधानसभा द्वारा उसे प्रदान किए जायेंगे;

2. प्रत्येक राज्य में ग्राम, जनपद और जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। अतः पंचायती राज संरचना के संबंध में एकरूपता स्थापित की जायगी। 20 लाख से कम की जनसंख्या वाले राज्यों को माध्यमिक स्तर पर पंचायत के गठन के संबंध में एकरूपता स्थापित की जायगी। 20 लाख से कम की जनसंख्या वाले राज्यों को माध्यमिक स्तर पर पंचायत के गठन के संबंध में छूट दी गयी है।
3. प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जायगा, जबकि माध्यमिक और जिला स्तर की पंचायतों के सभापतियों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ग्राम स्तर पर पंचायत के मुखिया के चुनाव की पद्धति का राज्य सरकारों द्वारा निर्धारण करने का उपबन्ध किया गया है।
4. प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में पदों के संरक्षण की व्यवस्था की गयी है। महिलाओं के लिए कम–से–कम एक तिहाई सीटों के संरक्षण का उपबन्ध है और इसके सम्बन्ध में एक पंचायत में प्रत्येक निर्वाचन के समय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण बारी–बारी से किया जायगा। इसी प्रकार सभापति के पद के सम्बन्ध में भी महिलाओं के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गयी है।
5. सभी पंचायती राज संस्थाओं की कार्यावधि पाँच वर्ष निर्धारित कर दी गयी है। प्रतिस्थापना की स्थिति में यह आवश्यक है कि विघटन की तारीख के पश्चात् छः माह के अन्तर्गत ही पंचायत के चुनाव सम्पन्न करवाए जायें।
6. राज्य विधानसभाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे पंचायतों को कर लगाने, एकत्र करने, स्थानीय करों के विनियोजन करने की समुचित शक्ति सौपें और इसके साथ ही राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को सहायता अनुदान प्रदान कर सकती हैं।
7. अधिनियम में पंचायतों को टैक्स, ड्यूटी फीस इत्यादि लगाने का अधिकार दिये जाने का प्रावधन है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति पर विचार और पुनर्विचार करने के लिए एक वित्त अयोग के गठन का भी प्रावधान है जिसे हर पाँच वर्ष पश्चात् पुनः गठित किया जायगा। यह आयोग राज्यों और स्थानीय इकाइयों में धन के वितरण के लिए राज्य को उचित सुझाव देगा।
8. पंचायतों में निरन्तरता बनाए रखने के लिए अधिनियम में यह व्यवस्था प्रदान की गयी है कि समस्त पंचायतें, जोकि अधिनियम के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यरत थीं अपनी कार्यावधि तक बनी रहेंगी जब तक कि राज्य विधान सभा द्वारा उनके विघटन संबंधी प्रस्ताव न पारित कर दिया जाए।
9. पंचायती राज संस्थाओं को कल्याणकारी व्यवस्था और विकासात्मक क्षेत्रों में व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन विषयों के संबंध में निर्णय लेने, योजना बनाने और परियोजनाओं के निर्धारण का अधिकार है। इन संस्थाओं की शक्ति सूची में शिक्षा प्रसार, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, कृषि भूमि–सुधार, लघु उद्योग विकास जैसे 29 विविध विषय हैं। (परिशिष्ट–6)

इन संशोधनों के अनुसार –

1. ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरों में नगरपालिका एवं नगर निगमों के चुनाव कराना अनिवार्य किया गया।
2. इन त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों को अनेक कार्यकारी एवं प्रशासनिक अधिकार दिए गए।
3. इन्हें कृषि, प्रबंधन, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि विकासात्मक कार्य सौंपे गए।
4. 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए गए।

73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243(क) के बसवनेम (2) (3) में यह प्रावधान किया गया है कि देश की समस्त राज्य सरकारे, स्थानीय शासन में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान करेंगे। इस संवैधानिक अनिवार्यता ने महिलाओं का घर की चार दीवारी से बाहर आना संभव बनाया, इस प्रावधान के कारण धरातलीय स्तर से राजनीति में महिलाओं की सहभागिता एवं निणर्य निर्माण में उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया गया। 33 प्रतिशत सीट आरक्षित होने के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों– ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों में लगभग एक लाख से अधिक महिला प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आती है यद्यपि उनमें से 70% महिलाएँ अशिक्षित होती है और उन्हे कोई प्रारंभिक राजनीतिक अनुभव भी नहीं होता है। प्रारंभ में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता एवं उनके प्रभावशाली प्रतिनिधित्व पर प्रश्नचिन्ह लगाया जाता था किंतु इस प्रावधान ने शासन में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित किया है, इससे शिक्षा की महत्ता, राजनीतिक शिक्षा एवं सूचनाओं की जानकारी, महिलाओं के अधिकार, भारतीय लोकतंत्र एवं उसमें उनकी भूमिका की जानकारी शासन में हस्तक्षेप, उत्तरदायित्व एवं मतदान के अधिकार का महत्व आदि उन्हें समझ आया। इस संविधान संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण सकरात्मक प्रभाव है ''महिला सशक्तिकरण'' और इसके लिए जरूरी है–

1. स्थानीय संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि करना।
2. स्वयं के बारे में उनकी सोच को बदलना और उनमें आत्म विश्वास विकसित करना, उन्हें वह रिक्त स्थान (Space) उपलब्ध कराना जहाँ से वे स्वयं के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए प्रयास कर सके।

मध्य प्रदेश राज्य और महिला सहभागिता

मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 72,626,809 है जिसमें 3,76,11,370(51.8%) पुरूष एवं 3,49 ,84, 645 (48.2%) महिलाएं है। मध्य प्रदेश एक ग्रामीण आबादी वाला राज्य है जहाँ की 46 प्रतिशत जनसंख्या जनजातीय है। अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ शिक्षा का स्तर निम्न है मध्यप्रदेश की कुल साक्षरता 69.32% है जिसमें पुरूष

साक्षरता 78.73% तथा महिला साक्षरता 59.24% है। महिलाओं की स्थिति और शिक्षा का स्तर देखा जाए तो ज्ञात होगा कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की अपेक्षा यहां महिला साक्षरता और जागरूकता अभी कम है।

मध्य प्रदेश में साक्षरता दर 1951–2011

वर्ष	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
कुल प्रतिशत	13.6	21.4	27.2	38.6	44.6	64.1	69.32
पुरूष प्रतिशत	20.2	32.9	39.4	49.3	58.5	76.5	78.73
महिला प्रतिशत	4.9	8.9	13.9	26.9	29.4	50.6	59.24

Source : Census of India 1951 to 2011

मध्य प्रदेश का सामाजिक पिछड़ापन, जटिल परम्पराऐं और शिक्षा के निम्न स्तर ने महिलाओं की स्थिति को दयनीय बना रखा है। संविधान द्वारा समानता का अधिकार दिए जाने के बाद भी विधानसभाओं में महिलाओं का पहुंच पाना एक दिवास्वप्न जैसा है। अत्यंत कम संख्या में जो महिलाएं घर की चारदीवारी से निकलकर उच्च स्तर तक पहुंची है वे या तो राजपरिवारों से है या उच्च सम्पन्न वर्ग से, ऐसे में जरूरत है कि मध्यप्रदेश राज्य में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण किया जाए और विभिन्न स्तरों पर उनकी सहभागिता को बढ़ाया जाए।

मध्य प्रदेश में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए गए है। संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन पर अमल करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व देने की सबसे पहले पहल मध्यप्रदेश राज्य ने की जो एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। इससे हुए महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन ने 2009 में इस 33 प्रतिशत आरक्षण को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का कदम उठाया। परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर के निर्वाचन में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों से भी अधिक संख्या लगभग 52 प्रतिशत में महिलाऐं निर्वाचित होकर आई हैं।

2870 पंचायतों में 163740 महिलाऐं निर्वाचित हुई।

पंचायत	पद	कुल संख्या	महिला प्रतिनिधियों की संख्या
जिला पंचायत	अध्यक्ष	50	30
	सदस्य	846	437
जनपद पंचायत	अध्यक्ष	313	170
	सदस्य	6827	3527
ग्राम पंचायत	सरपंच	23012	11606
	पंच	366233	188541

स्रोत – मध्य प्रदेश पंचायिका अगस्त, 2011

वर्तमान में प्रदेश में 1 लाख 80 हजार महिला पंच है। 11520 महिला सरपंच है।

क्र.	पद	संख्या	क्र.	पद	संख्या
1	पंच	180000	6	जिला पंचायत अध्यक्ष	25
2	सरपंच	11520	7	महिला पार्षद	1780
3	महिला जनपद सदस्य	3400	8	नगर पंचायत अध्यक्ष	95
4	जिला पंचायत सदस्य	415	9	नगर पालिका अध्यक्ष	32
5	जनपद पंचायत सदस्य	556	10	नगर निगम महापौर	8

ये आंकड़े प्रदेश में महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व के है लेकिन देखा जाए तो 6.6 करोड़ की आबादी में महिलाओं की यह स्थिति अपवाद स्वरूप ही है और यह स्थिति भी केवल उनके प्रतिनिधित्व को स्पष्ट करती है, सहभागिता को नहीं।

मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके लिए वर्ष 2006 में मध्यप्रदेश में पहली महिला पंचायत आयोजित की गई जिसमें की गई घोषणाओं के अनुसार प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ताकत प्राप्त हुई है। इस पंचायत के द्वारा अपनाई गई **''लाड़ली लक्ष्मी योजना, 2007''** को न केवल राष्ट्रव्यापी लोकप्रियता प्राप्त हुई बल्कि देश के सात अन्य राज्यों ने भी इसे अपनाया है। यह एक योजना बालिका के जन्म, शिक्षा और विवाह तक की एक आदर्श व्यवस्था सुनिश्चित करती है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के साथ–साथ, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान, 2011, शौर्या दल गठन योजना 2013, जननी सुरक्षा योजना एवं कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2013 को लागू कर महिला सशक्तिकरण के ऐतिहासिक प्रयास किये हैं। क्योंकि जब तक महिला सामाजिक–आर्थिक और मानसिक रूप से सशक्त नहीं होगी तब तक शासन में उनकी सहभागिता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए महिला नीति 2008 एवं महिला नीति 2015 भी शासन का एक आदर्श प्रयास है।

महिला नीति 2008 के अनुसार

नीतिगत प्रावधान

महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया एवं व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी एवं इस हेतु क्षमताओं को विकसित करना।

संस्थागत व्यवस्थायें

1. महिलाओं की आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं को चिन्हित करना, सूचना सेवाओं व संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
2. महिलाओं की क्षमताओं से संबंधित कार्यक्रमों के विकास के लिये परियोजनओं का निर्धारण एवं कियान्वयन की संस्थागत व्यवस्थायें।

3. महिलाओं का लोकतात्रिंक संस्थाओ, प्रशासकीय इकाईयों, औपचारिक व अनौपचारिक व्यवस्था से जुड़ने के लिये समान अवसर उपलब्ध करना।
4. महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया एवं व्यवस्था में भागीदारी व इस हेतु क्षमताओं में विकास की मॉनिटरिंग, मूल्यांकन, मानदंड एवं शोध की व्यवस्था।
5. महिला की विकास प्रबंधक के रूप में भूमिका सुनिश्चित करने के लिये संस्थागत तंत्र एवं वातावरण का निर्माण।

महिला नीति 2015 में महिला से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने, लिंग आधारित विभेदकारी स्थितियों को समाप्त करने, व्यवसायमूलक क्षमता एवं कौशल विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। नीति के अनुसार महिलाओं से संबंधित नीति, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं विधियों का सभी विभागों/संगठनों द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन कर उनकी निरंतर मॉनीटरिंग सुनिश्चित करना जरूरी है। साथ ही कार्ययोजना तैयार कर उनका समय पर क्रियान्वयन करने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाएगा, नोडल अधिकारी नियुक्त कर उनकी जबावदेही सुनिश्चित होगी, वर्ष में एक बार विशेष महिला ग्रामसभा होगी। नीति का क्रियान्वयन करने वाले विभागों/संगठनों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए जेंडर संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सबसे अहम बात कि महिला नीति में महिलाओं की सुरक्षा, समानता, सम्मान और विकास की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना मुख्य प्राथमिकता होगी।

प्रदेश में 25 विभागों में **जेंडर बजट प्रणाली** लागू की गई है जिससे हर विभाग में महिलाओं के लिए अलग से बजट देने का प्रावधान है। जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है।

इसके अलावा बालिका भ्रूण हत्या और महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है। इसके लिए पुलिस बल में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने और प्रदेश के 141 पुलिस थाने में महिला डेस्क की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

73वां संविधान संशोधन ने ग्रामीण स्तर पर महिला सहभागिता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है इसने महिलाओं को वह शक्ति प्रदान की है जिससे न केवल विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं प्रतिनिधित्व प्राप्त कर रही है बल्कि अपनी सहभागिता से स्थानीय स्वशासन को सफल भी बना रही है। संवेदनशील गुणों के कारण उनमें एक नए तरह का नेतृत्व उभरा है। महिला सरपंच–पंचों ने अपने गांवों के मानवीय मुद्दों को विकास के एजेंडे के रूप में सामने रखा है। वे साफ–सफाई से लेकर शराबबंदी, पानी, बालिका शिक्षा, राशन वितरण, विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं पर अधिक ध्यान दे रही है उनमें महिलाओं, वंचितों व गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने वाली राजनीतिक शैली दिखाई दे रही है। जिससे वे सफलता के नये–नये कीर्तिमान स्थापित कर रही है।

यद्यपि पहले के मुकाबले आज अनेक महिलाएं राजनीति में आ रही है और सफल हो रही है अपनी राजनैतिक कुशलता और सूझबूझ के मामलों में महिलाएं पुरूषों से कम नहीं है उनकी राजनैतिक उपलब्धियां उल्लेखनीय है लेकिन इन सबके बावजूद म.प्र. में आज भी राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की पर्याप्त सहभागिता नहीं है इसके अनेक कारण है–

1. मध्य प्रदेश में महिला सहभागिता में सबसे बड़ी समस्या महिलाओं में राजनीतिक सोच, राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक जागरूकता की कमी होना। इस राजनैतिक विचार शून्यता का प्रभाव न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि शहरों की पढ़ी लिखी आधुनिक महिलाओं में भी देखने को मिलती है।
2. वोट बैंक की राजनीति में महिलाएं केवल मत देने तक सीमित है उसमें भी उनकी सोच और पसंद मायने नहीं रखती। उनकी अपनी व्यक्तिगत न कोई राजनीतिक पसंद और ना ही नापसंद नहीं होती।
3. अपराधीकरण और असुरक्षित राजनैतिक वातावरण होने के कारण अधिकांश महिलाएँ इसमें आना नहीं चाहती।
4. मनी, मसलन और मैन पावर ने समूची चुनाव प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है ऐसे में महिलाओं का राजनीति में योग्यता के आधार पर प्रवेश संभव नहीं। निर्वाचन के समय उन्हें द्वितीयक या गौण ही समझा जाता है।
5. सामाजिक दबाव पारिवारिक जिम्मेदारियाँ एवं पारंपरिक रीति–रिवाज भी एक बड़ी बाधा है। समाज की सोच आज भी महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को उच्च स्तर का नहीं मानती।
6. आर्थिक रूप से दूसरें पर निर्भरता भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण महिलाएं अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं कर पाती।
7. अपने घर और परिवार की जिम्मेदारी पूर्ण करने के बाद राजनीतिक शिक्षा और सहभागिता के लिए समय नहीं होता।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों एवं विभिन्न राज इकाइयों में महिला आरक्षण का प्रावधान निश्चय ही महिला सहभागिता की दिशा में एक सराहनीय कदम है। जिसके कारण लाखों गरीब महिलाओं, जिनके पास न तो शिक्षा थी और न ही कोई राजनीतिक प्रशिक्षण, संरक्षण उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में आने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे महिला का सशक्तिकरण हुआ, नीति निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हुई। राजनीतिक कार्यों के संबंध में उनकी जागरूकता बढ़ी और अब पंचायतों में उनके कार्य, उनकी भूमिका में वृद्धि हुई एक तरह का सकारात्मक परिवर्तन महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रारंभ हुआ है।

73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के प्रावधान पर अनेक सवाल उठे थे कई महिला पक्षधरों का मानना था कि महिलाओं में शिक्षा, जागरूकता और आर्थिक आजादी आए बिना उन्हें आरक्षण के जरिये सत्ता के गलियारों तक पहुँचाना कहां तक उचित होगा, तो कुछ विरोधियों का

मानना था कि एक तरफ आरक्षण की मांग और दूसरी तरफ समानता की बात करना परस्पर विरोधी है। आरक्षण का प्रावधान, राजनीति में महिलाओं के प्रवेश के लिए भले ही सहायक साबित हो लेकिन केवल आरक्षण के जरिये राजनीति और शासकीय प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी क्या राजनीति में उनकी वास्तविक जगह बना पाएगी, ऐसे अनेक तर्कों के माध्यम से इस पुरूष प्रधान समाज में महिला आरक्षण के औचित्य पर सबाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन इतने सालों के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं परिवार, समाज और देश का नेतृत्व भी कर सकती है पुरूषों की तुलना में महिलाएं मेहनती और चीजों को सही तरीके से समझने जानने की इच्छाशक्ति रखती है कुछ मामले जैसे पंचायत की न्याय व्यवस्था, पशुपालन, बागवानी, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्रों की देखभाल आदि कार्य महिलाएँ ज्यादा अच्छे से कर पा रही हैं क्योंकि इनसे महिलाओं का रात–दिन का संपर्क होता है।

इस पंचायती राज कानून ने महिलाओं को एक तरफ राजनीति में हस्ताक्षेप करने तथा दूसरी तरफ विकास के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का मौका प्रदान किया है। पंचायत में आकर ही महिलाओं ने अनपढ़ होते हुए भी अपने निर्णय लेने की शक्ति को पहचाना है, यह सही है कि वे बहुत से फैसले घूंघट में रहकर पुरूष सदस्यों के इशारों पर करती है लेकिन इन्हीं अनुभवों ने उनमें अपने दम पर फैसले करने की इच्छा भी जगाई है। पंचायतों में महिलाओं को भागीदारी देकर सरकार ने एक तरह से तालाब में ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंककर हलचल पैदा करने का काम किया है अब समाज के संवेदशील वर्गों का दायित्व है कि वे महिला समता की वकालत करते हुए समाज में नया वातावरण निर्मित करे। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि शिक्षा एवं पंचायत कार्यों संबंधी प्रशिक्षण एक साथ हो।

73वें संविधान संशोधन की चुनौतियाँ

पंचायती राज लोकतंत्र की आरंभिक पाठशाला है। 73वों संविधान संशोधन के प्रावधानुसार पंचायतों एवं नगरीय निकायों में प्रत्येक स्तर पर कुल सीटों का कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित कर महिलाओं के लिए शासन में भागीदारी का एक मंच तैयार हुआ है। निःसंदेह यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में किया गया एक ईमानदार प्रयास है। इसके संदर्भ में कहा गया है कि यह प्रावधान घूंघट में छिपी आधी आबादी की पूरी दुनिया ही बदल देगा। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक–आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी संबल प्रदान करेगा। महिलाओं का नेतृत्व अधिक सहकारी और शांतिप्रिय होगा, महिलाओं के राजनीतिक समावेशन से श्रम का लैंगिक विभाजन भी कम होगा, इस तरह महिला सहभागिता से एक तरफ महिला सशक्तिकरण होगा तो वहीं समाज के सभी वर्गों की भागीदारी से राष्ट्र भी तीव्र, सतत् एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा लेकिन इसके लिए लंबा संघर्ष करना होगा क्योंकि इस प्रावधान के अनुसार की गई पहल ने महिलाओं को कलम तो तथा दी लेकिन उन्हें लिखना नहीं आता। न तो उन्हे राजनीतिक शिक्षा दी जाती है और न ही पुरुष वर्ग के समान समानता। परम्पराओं और रूढ़ियों में जकड़ा पितृसत्तात्मक समाज, महिला स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता। इस समाज में श्रम का लिंग के आधार पर विभाजन निश्चित कर दिया गया है जिससे बाहरी कार्यों के लिए पुरुष और घरेलू कार्यों का दायित्व महिलाओं के लिए निश्चित कर दिया गया है यदि महिलाएँ इस निर्धारण से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती है तो उन्हें दोहरे दायित्व से बांध दिया जाता है।

भारत में परम्परागत रूप से प्रचलित पर्दाप्रथा ने भी महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को बाधित किया है (जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बरकरार है)। हालांकि आरक्षण प्रणाली के कारण महिलाएं चुनावों में उम्मीदवारी जरूर करती है लेकिन प्रायः महिला उम्मीदवार न वोट मांगती है और न ही राजनीति मंचों पर नेतृत्व के लिए सामने आती हैं, क्योंकि यह सार्वजनिक कार्य है जिसका दायित्व परम्पराओं ने पुरुषों को सौंप रखा है साथ ही यह भी पुरुष ही निर्धारित करते है कि महिलाएं किसे वोट देगी। इसके अलावा निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की निर्णय लेने की शक्ति का प्रयोग भी पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। इस तरह सरपंच पति की अवधारणा का विकास हुआ और निर्वाचित महिला प्रतिनिधि एक ''हस्ताक्षरकर्ता मशीन'' बनकर रह गयी। इसके अलावा निरक्षरता, जागरूकता एवं न्यून आर्थिक स्तर भी महिलाओं की सहभागिता में बांधक है।

यद्यपि जनसहभागिता की इमारत का बजूद जागरूकता रूपी नींव पर टिका होता है लेकिन प्रश्न उठता है कि किस तरह की जागरूकता वास्तविक जनभागीदरी को प्रेरित करेगी? क्योंकि हाशिए पर जी रहे व्यक्तियों से राजनीतिक जागरूकता की उम्मीदें करना निश्चय ही हास्यास्पद होगा। अतः राजनीतिक जागरूकता के पूर्व आर्थिक जागरूकता के साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक जागरूकता भी महत्वपूर्ण है।

73वें संविधान संशोधन ने महिलाओं को पंचायतों, नगरपालिकाओं एवं निगमों में 33ः प्रतिनिधित्व तो प्रदान किया किन्तु महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित नहीं कर सके। संविधान के द्वारा प्रतिनिधित्व महिलाओं को मिला परन्तु सबसे जटिल एवं परेशानी वाला कार्य, महिलाओं के लिए सहभागिता की दशाओं को उत्पन्न करना है। एक अच्छा प्रतिनिधित्व स्वतः एक अच्छी सहभागिता नहीं बन सकता है। प्रतिनिधित्व, सहभागिता में तभी परिणित हो सकता है जब महिलाओं को निर्णय निर्माण में अपने ज्ञान एवं विवेक द्वारा सही अवसर पर सही निर्णय लागू करने का अधिकार भी प्रदान किया जाय। संपूर्ण भारत की महिला, पंचों, सरपंचों, निकाय अध्यक्षों एवं अन्य निर्वाचित पदों पर हुये सर्वे के आधार पर यह कहना अश्योक्ति नहीं होगी कि महिलायें अपने छोटे से छोटे निर्णय के लिए अपने आपको स्वतंत्र नहीं मानती एवं अपने आपको घर गृहस्थी के कार्यों में ही संलिप्त पाती है जबकि महिलाओं के सभी निर्णयों में इनके पुरूषों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महिलाओं में शिक्षा की कमी, राजनीतिक अनुभवों की कमी, पुरूषों का हस्तक्षेप आदि में महिलाओं की सहभागिता के स्थान पर

प्रतिनिधित्व ही दिखाई देता है। जिस पंचायत या निकाय में महिलायें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयत्न करती है वहां से इन महिलाओं को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पदच्युत कर दिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के उपरांत भी महिलाओं की स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया है।

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की स्थति को सुदृढ़ के लिए विभिन्न सुझाव

व्यवहार

व्यवहार एक ऐसा बिन्दु है जिसके सहयेाग से बड़ी–बड़ी समस्याओं का निराकरण संभव है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के साथ–साथ पुरूषों को भी अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। पुरूषों को महिलाओं के प्रति सहयोग की भावना के साथ–साथ उनके ग्रहस्थी के कार्यों, बच्चों की जिम्मेदारियों आदि से ऊपर उठकर समानता एवं सहभागिता निर्णयन आदि में महत्वपूर्ण भूमिका मानना चाहिये तभी समाज राजनीति आदि क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा साथ ही देश का विकास होगा।

शिक्षा

महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने के शिक्षा अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलायें अशिक्षित होने के साथ–साथ इनमें अनुभव कभी भी दिखाई देती है। अतः हमें महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जोर देने की आवश्यकता है। जो महिलायें पंचायतों का प्रतिनिधत्व कर रही है व अशिक्षित है, उन महिलाओं को शिक्षित महिला पंचायत प्रतिनिधियों के संवर्ग में लाकर स्तर में सुधार लाने का प्रयत्न करना आवश्यक है।

सहभागिता

सहभागिता से अभिप्राय चुने हुये महिला प्रतिनिधियों की सत्प्रतिशत बैठकों निर्णयन, आदि में उपस्थित सुनिश्चि करना है। महिलायें चुने जाने तक ही सीमित न रहते हुये, पंचायतों की प्रत्येक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, अपनी क्षमताओं का विकास करें, तथा आत्मविश्वास, बढ़ाये साथ ही ग्राम सभाओं, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों की प्रत्येक गतिविधि से अपने को जोड़े एवं अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

संगठन

महिलाओं को संगठित होकर पंचायतों के समस्त निर्णयों में बढ़चढ़कर भाग लेने की आवश्यकता है। प्राचीन काल से ही महिलाओं को एक वस्तु के रूप में देखा गया। वर्तमान में महिलाओं को संगठित होकर अपनी अपने समाज की देश की प्रगति में सहभागिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में भारत सरकार की विभिन्न सफल महिला संगठनों को आर्थिक सहायता के साथ–साथ विभिन्न माध्यमों से प्रेरित कर रही है। इसका परिणाम है कि ग्रामीण महिलायें भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही है।

निर्णयन

निर्णयन से हमारा अभिप्राय चुने हुये महिला प्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना, प्रत्येक निर्णय में उनकी महत्त्वता को समझाना साथ ही सही गलत प्रत्येक बिन्दु पर स्वनिर्णय सुनिश्चित करना है। महिलाओं को पंचायतों के विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करने की आवश्यकता है जिससे महिलायें सही एवं निष्पक्ष निर्णय ले सकें।

स्वसहायता समूह

स्वसहायता समूहों से हमारा अभिप्राय उन स्वतंत्र संस्थाओं से है जिनके सहयोग से चुने हुये महिला प्रतिनिधियों को इनके अधिकारों कार्यों आदि के बारे में सही सलाह अर्थात् दिशा निर्देश मिले जिससे महिलाओं में स्वावलम्बन की भावना का विकास सुनिश्चित हो सके।

पत्रकारिता

पत्रकारिता से अभिप्राय चुने हुये महिला प्रतिनिधियों के कार्यों को समाज, देश के प्रत्येक स्तर पर भेजना से है। वर्तमान में पत्रकारिता के विभिन्न रूपों ने अपना स्थान सुनिश्चित किया हुआ है। पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जो महिलाओं के साथ–साथ ग्रामीण, नगरीय समाज को पुनः स्थापित कर देश में लिंग–भेद जैसे मुद्दे को जड़ से मिटाया जा सके।

आरक्षण

वर्तमान में भारत सरकार ने महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए 33 प्रतिशत स्थान पंचायतों की तीनों स्तरों ग्राम, जनपद, एवं जिला में आरक्षित किये है। परंतु सहभागिता के लिए महिलाओं के लिए आत्म निर्भरता की कमी दिखाई देती है। वर्तमान में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वह प्रत्येक स्तर पर प्रतिभागी बने एवं विकास में अपना योगदान दें।

उद्देश्य

महिलाएँ, जनसंख्या का आधा प्रतिशत है, उनकी सहभागिता के बिना प्रजातंत्र की नींव मजबूत नहीं हो सकती। प्रजातंत्र का प्रमुख आधार है स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन में महिलाओं की सहभागिता की स्थिति का अवलोकन ही इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य है।

निष्कर्ष

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के लिए वैधानिक और वैचारिक दोनों स्तर पर कार्य करना होगा इसके लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में निरंतर अभियानों के माध्यम से उनमें आत्मविश्वास एवं क्षमता का निर्माण करना होगा ताकि वे स्वशासन में सक्रिय व प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सके। कानून यद्यपि संरचनात्मक विषमता को समाप्त नहीं कर सकते लेकिन सामाजिक बदलाव को जरूर प्रोत्साहित कर सकते है लेकिन केवल कानून निर्माण ही काफी नहीं साथ ही समाज में समता की संस्कृति का प्रचार–प्रसार करना होगा। महिलाओं के प्रति समाज की सोच में बदलाव होना अतिआवश्यक है तभी निर्वाचित महिलाएँ कुशल नेतृत्वकर्ता बन सकेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Global Gender Gap Index 2015, by World Economic Forem Report
2. Website of Census of India 2011; www. Census india.net, SRS bulletin, Registrar General of India.
3. Plan proposal for year 2010-11 of State Planning Commission MP.

4. Usha Narayanan, "Woniel's Political Empowerment: Imperatives and Challenges", Mainstream, April 10, 1999, p.7.
5. S.R. Bakshi, Empower-ment of' Women and Politics of Reservation, Book Enclave, Jaipur, 2002, p.53
6. Government of India, Towcrrds Equality, Report ofthe Committee on the status of Women in India, New Delhi, 1985, pp. 43-44.
7. Madhya Pradesh Mahila Niti 2015
8. Indian Economic Survey, 2009,
9. 73rd constitution ammendment of Indian Constitution.
10. "Women status in MP and planned interventions– A gender Review 2010", State Planning Commission Mangesh Tyagi, Yogesh Mahor & Chitranjan Tyagi.
11. Madhya Pradesh State Development Report 2009 prepared by M/S Sanket Information and Research Agency Bhopal, Madhya Pradesh.